

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।

सरकार—बनाम—अबरार उर्फ चिन्दू आदि

सत्र परीक्षण वाद सं० 160/2017

मुकदमा अपराध सं० 254/2010

धारा— 366,368,376 भा०दं०सं०

थाना— जैतपुर, अम्बेडकर नगर।

CNR No. UPAN010022382017



Session Trial/160/2017

दिनांक: 02.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अबरार उर्फ चिन्दू आदि की ओर से उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.04.2026 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट सं० 1661/2026 अबरार उर्फ चिन्दू व 6 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० आदि में पारित आदेश दिनांकित 28.04.2026 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है। जिसका सत्यापन कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा किया गया है।

2. सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं० 1661/2026 अबरार उर्फ चिन्दू व 6 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० आदि में पारित आदेश दिनांकित 28.04.2026 के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाही को समझौता (Compromise) के आधार पर समाप्त (Quashed) कर दिया गया है। अतएवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 28.04.2026 को दृष्टिगत रखते हुए इस आपराधिक वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। तदनुसार, याचिकाकर्तागण/ अभियुक्तगण अबरार उर्फ चिन्दू आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

4. अभियुक्तगण अबरार उर्फ चिन्दू आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.04.2026 के अनुपालन में प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण की कार्यवाही समाप्त (Quashed) की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(परविन्द कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम)

अम्बेडकर नगर

I.D. No. UP01837